भारत INDIA COURT FEE बीस रुपये TWENTY RUPEES

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(54)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण . पुनर्विलोकन-0065/2019/ग्वालियर/भू.रा.

पु.क्र. /18-19/पुनरविलोकन

रामप्रसाद सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह
नि0 108 बैंकर्स कॉलोनी थाटीपुर मुरार
ग्वालियर म.प्र. ... आवेदक

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा
अपर कलेक्टर ग्वालियर
2. अनुविभागीय अधिकारी
झांसी रोड ग्वालियर
अनावेदकगण

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
द्वारा आज दि० 9/01/19 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 15-1-19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-1-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
B Singh
09/01/19

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्र. 1728/पीबीआर/2018 निग. मे पारित आदेश दिनांक 27.11.2018 के विरुद्ध धारा 51 भू राजस्व संहिता 1959 के तहत पुनरावलोकन

श्रीमान,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **पुर्नविलोकन 0065/2019/ग्वालियर/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14—2—2019	आवेदकपक्ष की ओर से अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । रीडर (मनोज गोयल) अध्यक्ष	